यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बरः—26/2019 प्रार्थना पत्र

-श्री बालूराम पिता श्री किशन जाट, उम्र बालिग निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा
-कल्याणी पुत्री श्रीकिशन जाट पत्नि नारायण जाट, उम्र बालिग निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी गणेशपुरा जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
-चिंता पुत्री श्री किशन जाट पत्नि बद्रीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-पानी पुत्री श्री किशन जाट, पत्नि गोपीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी रायसिंहपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा हाल निवासी जाट मोहल्ला, कीरतपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-रोशन पुत्री श्री किशन जाट पत्नि नारायण जाट, उम्र बालिग निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा हाल जाट मोहल्ला कीरतपुरा तहसील जिला भीलवाड़ा
-लादी पत्नि श्री किशन जाट, उम्र बालिग निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——————प्रार्थीगण

बनाम

जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा(राज0)

———————

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

स्थितः—

श्री कैलाश सोमाणी — एडवोकेट—प्रार्थीगण

:: नि र्ण य :: दिनांकः—22.3.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना अन्तर्गतं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर दन किया है कि ग्राम ईरास पटवार हल्का दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा में र्थीगण के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजी नम्बर 313 रकबा 2 बीघा 13 स्वा, 315 रकबा 9 बिस्वा, 318 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 328 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा न किता 4 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित हैं। हम प्रार्थीगण के पिता/पति के म से ग्राम ईरास पटवार हल्का दरीबा में खातेदारी आधिपत्य की भूमि स्थित हैं। जिसमें ता संख्या 11, 12 एवं 13 स्थित हैं। इसमें से खाता संख्या 11 व 12 में राजस्व रेकार्ड किशन पिता मांगू जाट साकिन देह रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा खातेदार स्थित हैं। ा खाता संख्या 13 में गलती पूर्वक किशन पिता मांगू जाट साकिन ईरास म. सुवाणा तेदार दर्ज है जो गलत हैं जबकि वास्तव में अन्य राजस्व रेकार्ड में श्री किशन पिता ू जाट साकिन देह रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा दर्ज हैं। प्रार्थीगण के ता श्री किशन पिता मांगू जाट के नाम की आराजी नं0 313, 315, 318, 328 कुल ता 4 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा तथा आराजी संख्या 21/1 कुल रकबा 3 बीघा 7

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

बिस्वा, 316 रकबा 5 बिस्वा आराजी चाह जो कि सम्वत् 2057 तक श्रीकिशन पिता मांगू जाट के नाम से दर्ज आ रही थी। किन्तु जमाबंदी सम्वत् 2058 से श्री किशन पिता मांगू जाट के नाम से दर्ज आ रही है जो गलत हैं। जबकि हमारे पिता का वास्तविक नाम श्रीकिशन पिता मांगू जाट साकिन देह रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा हैं। हम प्रार्थीगण के पिता/पति की मृत्यु दिनांक 3.7.2016 को ग्राम रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा में हो गयी है जिसका विरासत से इंतकाल दिनांक 5.7.2017 को श्रीमान् तहसीलदार साहब भीलवाड़ा के यहॉ हो चुका है तथा राजस्व रेकार्ड में भी वर्तमान में हम प्रार्थीगणों का नाम दर्ज हैं। हम प्रार्थीगण ग्राम रायसिंहपुरा में ही निवासरत है तथा अन्य खातेदारी राजस्व रेकार्ड में भी साकिन देह रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा दर्ज है तथा इस भूमि पर हम कब्जा काश्त कर रहे हैं। खाता संख्या 13 की आराजी संख्या 313, 315, 318, 328 कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा में साकिन ईरास म0 सुवाणा के स्थान पर साकिन रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा दर्ज कराया जाना आवश्यक व आराजी नम्बर 316 आराजी चाह रकबा 5 बिस्वा व आराजी संख्या 21/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर हमारे पिता का सही नाम श्रीकिशन पिता मांगू जाट दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। जिस हेतु हमारे द्वारा कई बार पटवारी व तहसीलदार साहब को कहा गया, परन्तु उन्होनें उक्त राजस्व रेकार्ड में संशोधन नहीं किया इस कारण से यह प्रार्थना पत्र आप श्रीमान् के समक्ष्या पेश करने की नौबत आयी हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शें में अंकित आराजी नम्बर 313, 315, 318, 318 कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा व आराजी संख्या 316 रकबा 5 बिस्वा आराजी चाह, 41/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में खातेदार का नाम किशन पिता मांगू जाट साकिन ईरास म. सुवाणा के स्थान पर श्रीकिशन पिता मांगू जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 4.1.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब पेरोकार सरकार आयन्दा देना चाहते हैं। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जवाब दिनांक 18.3.2019 को बंद किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2070 से 2073 की नकले, आधार कार्ड की फोटो प्रतियॉ, श्रीकिशन जाट का मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति, बालूराम, कल्याणी, चिंता देवी, पानी देवी, रोशन देवी व लादी देवी जाट के आधार कार्ड की फोटो प्रतियॉ, खसरा मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रतियॉ, जमाबंदी की नकल सम्व् 2054 से 2057 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी की नकल सम्वत2058 से 2061 की नकले प्रस्तुत की। जिसे शामिल पत्रावली किये गये।

पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के खण्डन में न तो जवाब प्रस्तुत किया और न ही कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किये। इस कारण पेरोकार सरकार का जवाब दिनांक 18.3.2019 को बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों ने उपस्थित होकर बहस करनी चाही। उभय पक्षों की स सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

जबकि पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की स के दौरान इस्तदुआ की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर न किया गया। विवादित आराजियात ग्राम ईरास पटवार हल्का दरीबा तहसील व ला भीलवाडा में स्थित होकर श्रीकिशन पिता मांगू जाट साकिन ईरास म0 सुवाणा के म दर्ज रेकार्ड हैं। जिसके खाता नम्बर 61 हैं। तथा खाता नम्बर 62 में विवादित राजियात ग्राम ईरास पटवार हल्का दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर किशन पिता मांगू जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। सकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2054 से 2057, 2058 2061, 2070 से 2073 से होती हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के ुसार प्रार्थीगण के पिता मूल निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा के हैं। जिसकी ताईद तुत आधार कार्ड की फोटो प्रति, व मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति से होती हैं। र्थीगण श्री किशन पिता मांगू जाट के लड़के व लड़कियॉ हैं। इस कारण प्रार्थीगण ने पिता श्री किशन पिता मांगू जाट के बजाय राजस्व रेकार्ड में साकिन ईरास म0 ाणा के बजाय साकिन रायसिंगपुरा तहसील बनेड़ा दर्ज कराना चाहते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व ाने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का कार किया जाकर ग्राम ईरास पटवार हल्का दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा में त हाल आराजी नम्बर 313, 315, 318, 328 कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा एवं राजी नम्बर 316 व 21/1 में खातेदार श्री किशन पिता मांगू जाट साकिन ईरास म0 ाणा के बजाय श्री किशन पिता मांगू जाट, साकिन रायसिंहपुरा तहसील बनेड़ा जिला लवाड़ा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में न किया जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 22.3.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner